प्रेस नोट
दिनांक 08.06.2025, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने व मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 191/25, धारा 221, 352, 351(3), 121(1), 132, 121(2), 109, 324(2),125 बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 02 नामजद अभियुक्तों– 01. रामलखन पुत्र पंचम लाल, 02. शिव बचन पुत्र स्व0 रामखेलावन निवासीगण हाथी बोर मौजा सकरौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को पसका मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 07.06.2025 को हे0का0 गिरजा शंकर, डायल–112 वाहन यू0पी0 32 डीजी 5657 पर चालक ओम प्रकाश तिवारी के साथ इवेन्ट संख्या 5349 पर ग्राम हाथी बोर थाना परसपुर गए थे, जहाँ दोनों पक्षों में मारपीट हो रही थी। समझाने का प्रयास करने पर विपक्षीगण श्रवण पुत्र मिहीलाल व अन्य ने गाली–गलौज करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी थी। हे0का0 गिरजा शंकर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर मु0अ0सं0 167/25, अंतर्गत धारा 221, 352, 351(3), 121(1), 132, 121(2), 109, 324(2) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट बनाम 04 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 08.06.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा 02 नामजद अभियुक्तों– 01. रामलखन पुत्र पंचम लाल, 02. शिव बचन पुत्र स्व0 रामखेलावन निवासीगण हाथी बोर मौजा सकरौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को पसका मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामलखन पुत्र पंचम लाल नि0 हाथी बोर मौजा सकरौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. शिव बचन पुत्र स्व0 रामखेलावन नि0 हाथी बोर मौजा सकरौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 167/25, अंतर्गत धारा 221, 352, 351(3), 121(1), 132, 121(2), 109, 324(2) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 सावन सिंह
02. हे0का0 मुन्नीलाल चौहान।
03. का0 अभिषेक यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 08.06.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–445/25, धारा 331(4),305 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त निक्कू लाल पुत्र दीपनरायन निवासी ग्राम राम नगरा पिरवर तारा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गांधी पार्क स्थित प्राइमरी विद्यालय के पास के पास गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी गया माल 01 कमर्शियल सिलेंडर, 01 प्रेशर कुकर व 03 मिक्सर जार बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 01 जून 2025 को वादी आशीष मिश्रा पुत्र अनिल कुमार मिश्रा, संचालक बकैती कैफे, हेमराज मार्केट, स्टेशन रोड गोण्डा, द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि सुबह लगभग 07:25 बजे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैफे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर कमर्शियल सिलेंडर, कुकर, मिक्सर, कप–प्लेट, राशन व अन्य सामान चोरी कर लिया गया। घटना की जानकारी प्रार्थी को 11:00 बजे दुकान खोलने पर हुई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 08.06.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त निक्कू लाल पुत्र दीपनरायन निवासी ग्राम राम नगरा पिरवर तारा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गांधी पार्क स्थित प्राइमरी विद्यालय के पास के पास गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी गया माल 01 कमर्शियल सिलेंडर, 01 प्रेशर कुकर व 03 मिक्सर जार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. निक्कू लाल पुत्र दीपनरायन निवासी ग्राम राम नगरा पिरवर तारा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–445/25, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 कमर्शियल सिलेंडर, 01 प्रेशर कुकर व 03 मिक्सर जार।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 शुभम दुबे।
02. उ0नि0 विकास गुप्ता।
03. का0 आदित्य कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.06.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के पर्यवेक्षण में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल चोर– अमर सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र दुर्गा प्रसाद सिंह निवासी कोल्हारगांव पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 08.06.2025 को थाना मनकापुर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक उमेश सिंह मय हमराह टीम के साथ समय माता मंदिर के पास बन निगम मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल के साथ रोका गया, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अमर सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र दुर्गा प्रसाद सिंह निवासी कोल्हारगांव पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर बताया। जब पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल के कागजात मांगे गए तो अभियुक्त संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ई–चालान ऐप द्वारा जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है तथा वाहन पर खुदा हुआ इंजन नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर से मेल खाता है। इस संबंध में वाहन स्वामी शिवम सिंह निवासी सुल्तानपुर से संपर्क किया गया, जिन्होंने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल दिनांक 06.05.2022 को थाना बिभूती खंड लखनऊ क्षेत्र से चोरी हो गई थी, जिस संबंध में उन्होंने मु0अ0सं0 253/2022 दर्ज कराया था। थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त अमर सिंह उर्फ प्रिंस से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उसने यह मोटरसाइकिल वर्ष 2022 में लखनऊ के थाना बिभूती खण्ड क्षेत्र से चोरी की थी। पहचान छिपाने हेतु उसने चेचिस नम्बर घिसकर मिटा दिया और फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर वाहन का उपयोग कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अमर सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र दुर्गा प्रसाद सिंह निवासी कोल्हारगांव पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–259/2025, धारा 317(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–253/2022, धारा 379 भादवि थाना विभूती खण्ड लखनऊ।

बरामदगी–

01. 01 अदद स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 उमेश सिंह।

02. उ0नि0 पिण्टू कुमार यादव।
03. उ0नि0 योगेश कुमार यादव।
04. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता
05. का0 रवि सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>